

फर्द अहकाम

रामुलाल बनाम चासीलाल

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी
 व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

दावा 170/2024

विशेष विवरण

आज्ञा विस्तृत रूप से

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

28/3/25

पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता
 उपस्थित। वादी अधिवक्ता ने तहसीलदार
 बस्सी के पत्रांक अ.अ./2025/1537
 दिनांक 24/03/2025 द्वारा पूर्व में कुरैजात
 रिपोर्ट होकर शाकिल कुरैजात रिपोर्ट
 के आधार पर अंतिम डिक्री करवाने
 हेतु विनियम किया।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का
 अवलोकन करने एवं वादी अधिवक्ता
 को सुनने के पश्चात तहसीलदार
 बस्सी के पत्रांक अ.अ./2025/1537
 दिनांक 24/03/2025 के मुताबिक
 वादी का वाद अंतिम रूप से डिक्री
 किया जाना है विस्तृत निर्णय पृष्ठ
 से लिखवाया जाकर शाकिल पत्रावली
 किया गया। डिक्री पर्यां जारी है।
 यह अधिसूचना की तहरीर पालनार्थ तहसीलदार
 बस्सी को जारी है।

पत्रावली फेल ल सुनान होकर
 बाद तकमील दाखिल दाखल होकर
 नम्बर से सुन है।

मुकदमा नम्बर
 170/2024
 दावा नम्बर
 170/2024
 पर पालन
 करितम्बिक
 व रिपोर्ट किया
 जाये।
 28/3/25

सहायक कलक्टर
 बस्सी जिला जयपुर